



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234979
CG-DL-E-08042022-234979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1611]
No. 1611]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

का.आ. 1694(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. ३८९(अ), दिनांक २८/०१/२०२२, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में NH51 के कि.मी. 222.4 से कि.मी. 263.18 (कोडिनार-वेरावल सेक्शन ऑफ NH-51) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०८/०२/२०२२" को "द टाइम्स ऑफ इंडिया" और "संदेश" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में NH51 के कि.मी. 222.4 से कि.मी. 263.18 (कोडिनार-वेरावल सेक्शन ऑफ NH-51) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: गिर सोमनाथ			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पतन -वेरावल				
	गांव का नाम: काजली				
1	199/2	निजी	नान्-एग्रिकल्चर	0.2667	एग्रकल्चरल् प्रडूस मार्केट कमिटी-वेरावल ()
2	200	निजी	नान्-एग्रिकल्चर	0.1965	एग्रकल्चरल् प्रडूस मार्केट कमिटी-वेरावल ()
	तालुक का नाम: सूत्रपदा				
	गांव का नाम: मोरडिया				
1	Old Gamtal	निजी	नान्-एग्रिकल्चर	0.008	पीठाभाई हजाभाई लखनोत्रा ()
2	Old Gamtal	निजी	नान्-एग्रिकल्चर	0.0066	प्रेज़डेंट, मिल्क प्रडूसर्ज़ कोआपरेटिव ससैअटी-2 ()
			कुल	0.4778	

[फा. सं. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2022

S.O. 1694(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO No. 389(E), dated 28/01/2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and

operation of NH51 on the stretch of land from Km. 222.4 to Km. 263.18 (Kodinar-Veraval Section of NH-51) in the district of GIR SOMNATH in the state of GUJARAT.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “Sandesh” both dated 08/02/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas one objection has been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH51 in the stretch of land from Km. 222.4 to Km. 263.18 (Kodinar-Veraval Section of NH-51) in the district of GIR SOMNATH in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: GIR SOMNATH			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Patan -Veraval				
	Village: Kajli				
1	199/2	Private	Non-Agriculture	0.2667	Agricultural Produce Market Committee-Veraval
2	200	Private	Non-Agriculture	0.1965	Agricultural Produce Market Committee-Veraval
	Taluk: Sutrapada				
	Village: Moradiya				
1	Old Gamtal	Private	Non-Agriculture	0.008	Pithabhai Hajabhai Lakhotra
2	Old Gamtal	Private	Non-Agriculture	0.0066	President, Milk Producers Cooperative Society-2
			TOTAL	0.4778	

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director